

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

सांख्यिकी शाखा

संचिका संख्या:- मो०-40/16(सांख्यिकी)

3103

कृ०,पटना दिनांक 22 जुलाई, 2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :

वर्ष 2016-17 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

प्रसंग :


विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 3117, 3118, 3119 दिनांक 18.07.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या 34, 35 एवं 36 दिनांक 18.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2016-17 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश की प्रति।

विश्वासभाजन




(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3103

दिनांक : 22-7-2016

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक(परिक्षेत्र) एवं सभी जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3103

दिनांक : 22-7-2016

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के लिए आर्डी० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



बिहार सरकार, कृषि विभाग।

विषय:- वर्ष 2016-17 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

1. राज्य में खरीफ मौसम में धान एवं मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। चालू खरीफ मौसम में 34 लाख हेक्टेयर में धान, 3.40 लाख हेक्टेयर में धान बिचड़ा तथा 4.75 लाख हेक्टेयर में मक्का आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ मौसम में अनियमित मॉनसून के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में भरपूर उत्पादन के लिए सिंचाई हेतु डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना से संबंधित कार्यक्रम स्वीकृत किया जा रहा है। चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीजरथली में बिचड़ा को बचाने, बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गए खड़े फसल की सिंचाई करने तथा मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।

2. एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 30 रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 300 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। एक किसान को एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु 900 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। धान के लिए 3 सिंचाई, धान बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई तथा मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के लिए 3 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है।

3. रबी फसल से भरपूर उत्पादन के लिए रबी 2016-17 में गेहूँ की 3 सिंचाई के लिए 900 रु० अधिकतम एवं अन्य रबी फसलों की दो सिंचाई के लिए अधिकतम 600 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से डीजल अनुदान अनुमान्य है।

4. यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। नवार्ड फेज 8 में निर्मित राजकीय नलकूप जो किसानों/किसान समितियों के द्वारा परिचालित किए जाते हैं उनके द्वारा भी डीजल क्रय कर सिंचाई करने पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।

5. खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए 30 अक्टूबर, 2016 तक डीजल क्रय करने पर यह अनुदान देय होगा। 15 नवम्बर, 2016 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सत्यापित दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 30 नवम्बर, 2016 तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

6. रबी फसलों की सिंचाई के लिए 1 नवम्बर, 2016 से 07 मार्च 2017 तक क्रय किये गये डीजल के विरुद्ध अनुदान अनुमान्य है। 15 मार्च, 2017 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 31 मार्च, 2017 तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

7. डीजल अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

- वर्षापात की स्थिति एवं सिंचाई हेतु डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात जिला पदाधिकारी डीजल अनुदान वितरण कराने का निर्णय ले सकेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत विशेष के लिए आवेदन प्राप्त करने/सिंचाई के सत्यापन करने हेतु पंचायत सेवक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा।
- डीजल अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर भी काउन्टर खोला जाय तथा इसपर एक जिम्मेवार कर्मी को आवेदन प्राप्त करने एवं रजिस्टर में संधारित करने की जिम्मेवारी दी जाय। प्रखंड मुख्यालय में प्राप्त आवेदन की जाँच हेतु सम्बन्धित पंचायत को निश्चित समय सीमा में हस्तगत करा दी जाय।
- पंचायत सेवक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार अपने स्तर पर प्राप्त आवेदन का सत्यापन खेत में जाकर करेंगे। सत्यापन का कार्य सिंचाई के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा। कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार सत्यापित आवेदन पर डीजल अनुदान के लिए अनुशंसित दर्ज करेंगे तथा सिंचाई की गई रकबा एवं कैशमेमो के अनुसार अनुशंसित राशि दर्ज करेंगे। कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार अपने स्तर पर एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें आवेदन को तिथि के अनुसार दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर में आवेदन की प्रगति भी अंकित की जायेगी।
- कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा माह के 15 तारीख से पूर्व प्राप्त आवेदनों को सत्यापित करके आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची माह के 20 तारीख को निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। 15 तारीख एवं 30 तारीख के बीच प्राप्त आवेदन के संदर्भ में अगले माह की 5वीं तारीख को सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। इस प्रकार कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा प्रत्येक माह में दो बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को समेकित सूची भेजी जायेगी। कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार अपने कार्य क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन (स्वीकृत एवं अस्वीकृत) को उक्त समेकित सूची के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देंगे।
- डीजल अनुदान के लिए कृषि विभाग के द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की सीमा में राशि उपावंटित की जायेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर राशि की निकासी कर सम्बन्धित लाभुक कृषकों को आर० टी० जी० एस०(RTGS)/एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान करेंगे।
- डीजल अनुदान नगद भुगतान वर्जित होगा। डीजल अनुदान का अनुश्रवण निम्नवत निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

I.	मुखिया	-	अध्यक्ष
II.	सरपंच	-	सदस्य
III.	पंचायत वार्ड के सदस्यगण	-	सदस्य
IV.	विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	-	सदस्य
V.	विगत चुनाव में सरपंच पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	-	सदस्य
VI.	पंचायत समिति के संबंधित सदस्य	-	सदस्य
VII.	संबंधित नामित कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार	-	सदस्य सचिव।

- नगर क्षेत्र के किसानों से संबंधित अनुश्रवण समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-
 - I. नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष - अध्यक्ष
 - II. नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य - सदस्य
 - III. विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी) - सदस्य
 - IV. नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य
 - V. संबंधित नामित कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार - सदस्य सचिव।
- जैसे किसान जिनका बैंकों में खाता संधारित नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर खाता खुलवाने की व्यवस्था की जायेगी।
- वितरण के पश्चात राशि एवं किसानों से संबंधित पूर्ण विवरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संधारित की जायेगी।
- यदि किन्हीं किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों का 15 दिनों के अंदर कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा जांच की जायेगी। जो किसान वांछित अर्हता रखते हैं उन्हें अनुदान का भुगतान अगले कैम्प में किया जायेगा।